e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0– 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (प0 चम्पारण)– 14/2022.164.......... पटना, दिनांक 13/02/2023

# आदेश

श्री अनंत कुमार, शिविर प्रभारी–सह–विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा दिनांक 17.01.2023 को आवेदन के माध्यम से श्री मनोरंजन कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (ID No.- SKN00853) के विरूद्ध हड़ताल में शामिल नहीं होने पर शिविर प्रभारी के साथ मार–पीट, गाली–गलौज एवं लैपटॉप, मोबाईल सहित तोड़ने की सूचना कार्यालय को दी गयी है। उक्त सूचना के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 849 दिनांक 18.01.2023 के द्वारा श्री मनोरंजन कुमार से स्पष्टीकरण की मांग तीन दिनों के अन्दर की गयी है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 65 दिनांक 23.01.2023 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध कार्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए सेवामुक्त करने अथवा अन्यत्र जिला में स्थानान्तरण करने की अनुशंसा की गयी है। इनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व में भी इनके द्वारा अनुशासनहीनता के दृष्टिगत दो बार शिविर का स्थानान्तरण किया गया है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्राप्त आवेदन के आलोक में इनसे पूछे गये स्पष्टीकरण पर प्राप्त उत्तर एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध भेजे गये प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोंपरान्त पाया गया कि आरोपित के द्वारा दिनांक 12.01.2023 को शिविर में प्रतिनियुक्त अन्य संविदा कर्मियों के साथ मार–पीट एवं अभद्र व्यवहार करने के साथ–साथ सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने तथा वरीय पदाधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने हेतु उकसाने जैसा कार्य किया गया है। बन्दोबस्त पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया है कि इनका कार्य संतोषजनक नहीं है तथा इन्हें कार्यों में रूचि नहीं है एवं सर्वेक्षण जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य के निष्पादन में ये बाधा पहुँचाते है, जिससे अन्य कर्मियों पर नाकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में ऐसे अनुशासनहीन, आचरणविहीन कर्मी को किसी अन्य जिला में भी स्थानान्तरण किया जाता है तो निश्चित रूप से सर्वेक्षण जैसे कार्य जो आम ग्रामीणों के बीच कराया जाना है, उसमें विघ्न (Disturbance) ही पहुँचायेगें। अतः बन्दोबस्त पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में इन्हें जिला में स्थानान्तरण न करते हुए संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली– 2019"** के नियम 8(4) के तहत बन्दोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री मनोरंजन कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (ID No.- SKN00853) का संविदा नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 13/2/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक–** 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (प0 चम्पारण)– 14/2022.164.......... **पटना, दिनांक** 13/02/2023

**प्रतिलिपि** :– बन्दोबस्त पदाधिकारी, प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक–** 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (प0 चम्पारण)– 14/2022.164.......... **पटना, दिनांक** 13/02/2023

**प्रतिलिपि** :– श्री मनोरंजन कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (ID No.- SKN00853) को सूचनार्थ प्रेषित।

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक–** 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (प0 चम्पारण)– 14/2022.164.......... **पटना, दिनांक** 13/02/2023

**प्रतिलिपि** :– प्रभारी आई0 टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ एवं निदेशालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप 13/2/23

D:\Jyoti-2023\Bablu Sir\Order\Director\14-2022-06-02-2023 (Begusarai).doc